Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to enact Population Control Law and Uniform Civil Code in the country.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, हमारे राज्य में दो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हैं। एक कल एफसीआरए बिल पास हुआ। आपको पता है कि धर्मांतरण बड़े पैमाने पर होता है। उसका कारण यह है कि संविधान में जो शेड्यूल्ड कास्ट है, यदि वे धर्म परिवर्तित कर लेते तो उनको रिज़र्वेशन नहीं मिलता है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यह रिज़र्वेशन मिलता है। यह बड़ी समस्या है। कोविड-19 के बाद जो समस्या डेवल्प हुई है, माइग्रेंट लेबर, लेबर की या उनके रोज़गार की, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से तीन आग्रह हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट की तरह ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी यदि धर्म परिवर्तन करें, तो उनको रिज़र्वेशन नहीं मिले, दूसरा यह जो माइनॉरिटी अपीज़मेंट चलता है, सारी राजनीति पार्टियां माइनॉरिटी के नाम पर, मुस्लिम-हिंदू के नाम पर वोट लेती हैं, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जिसके कारण सभी नागरिक यहां बराबर हों और तीसरा, जो लेबर की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना जरूरी है। धारा-370 के बाद मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण का कानून ला कर इस देश को बचाना चाहिए। इस देश की डेमोग्राफी से छेड़छाड़ होने से रक्षा करनी चाहिए।

माननीय सभापति :

श्री विनोद कुमार सोनकर,

श्री रमेश बिधूड़ी, एवं

श्री सुधीर गुप्ता को डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय कुमार मंडल – उपस्थित नहीं।